न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर

मुकदमा अनवान–मल्लाराम बनाम किसनाराम

किस्म मुकदमा–53,88 आरटीएक्ट मुकदमा संख्या– 155 / 2019

09.2022

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड,जमाबंदी सं. 2073–76 मौजा जसनगर का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामा पर भी मनन किया गया। बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि वाद इस्तदुआ के बिन्दु संख्या 'बी' में खसरा नंबर 952 व 950 में खातेदारी घोषणा चाही गई है। उक्त दोनो खसरे में वादी के नाम खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। फिर भी वादी ने वाद प्रस्तुत कर कर बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा चाहा गया। केवल वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त ही जाहिर किया गया। है। प्रतिवादी संख्या एक से चौदह के नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दर्ज है। बकाया के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है फिर भी पक्षकार बनाया गया है। जो आरटीएक्ट की धारा के प्रावधानो के विरूध है। वादग्रस्त भूमि वाद में वादी व प्रतिवादीगण की पैतृत बताई गई है। लेकिन वादी के नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं है। तथा प्रतिवादी संख्या 15 से 32 के नाम उतराधिकार नामान्तकरण भी दर्ज नही है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक है। अगर प्रतिवादी संख्या 15 से 32 के नाम विरासत नामान्तकरण दर्ज करना हो तो विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाकर वाद पेश किया जाना वाजिब है। वादी विरासत नामान्तकरण करवाये ही वाद प्रस्तुत किया है। जो चलने लायक नहीं है। अतः वादी वादग्रस्त भूमि में रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद जाप्ता कार्यवाही के दाखिल दपतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी